दूरभाष-0121-2664726 E-Mail <u>cfmeerut@gmail.com</u>

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 4943 / 14 - दिनांक, मेरठ 21 , जून, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद हापुड़ में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch-88+650 to 88+750, Khasra No.- 2531 of NH-09 R.H.S in Village-Garh Banger, Tehsil-Garhmukteswar. District Hapur हेतु 0.048 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी /अप्रोच/150358/2021)।

सन्दर्भ:-

1—उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या—पी—89 / 81—2—2023—800(117) / 2023, दिनांक 24.05.2023

2—आपका पत्रांक 3733 / 11—सी—FP/UP/Approach/150358/2021, दिनांक 26.05.2023 । 3—प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 4340 / 14—1, दिनांक 08.06.2023 ।

महोदय.

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या-पी-89 / 81-2-2023-800(117) / 2023, दिनांक 24.05.2023 से लगायी गयी आपत्ति का निस्तरण प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ ने अपने संदर्भित पत्र से निम्न प्रकार किया है-

Observation	Reply
प्राईवेट पिकनिक स्पाट	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ द्वारा अवगत कराया गया है कि हैण्डबुक ऑफ
हेतु सम्पर्क मार्ग हेतु	फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्त 1980 के चैप्टर 4 के बिन्दु संख्या—4.7 में निम्न
संरक्षित वन भूमि के	निर्देश दिये गये है:- General Approval for diversion of forest land
गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन	for approach road to road side establishments for private
(संरक्षण) अधिनियम 1980	entrepreneurs.
में क्या प्रावधान है?	Central Government has agreed to accord general approval under the
	Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of not more than 0.1
	hectare of forest land in each case to government
	departments/private establishment. This general approval is
	applicable for approach/access passing through the strip plantation
	along the linear projects, which has been declared as protected forest
	under the provisions of IFA, 1927 and not owned by the Forest
	Department.
	उपरोक्तानुसार प्राईवेट पिकनिक स्पाट के सम्पर्क मार्ग हेतु संरक्षित वन भूमि
	का गैरवानिकी प्रयोग किया जा सकता है।
	प्राईवेट पिकनिक स्पाट हेतु सम्पर्क मार्ग हेतु संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में क्या प्रावधान है?

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

मवदाय,

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, समाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक 49 43 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, भैमाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।